

कार्यालय दण्डिलपिणारी कालपी गजपट्ट जालोन

पत्रांक: 341/मावप आर्वाइट/सीलासी/2023-24 दिनांक: 04.09.2023

मत्स्य आखेट नीलांगी द्वेयु विज्ञप्ति

[illegible]

(१) महर्षि काली प्रणव शाली -

महोदय का लाली की सीप में बाँधिए कुसुम लाली की लत पास में झपटते खड़े—
 ३०० जीतकाल विपुल आँकित माले—साधने/१७,७९,०००/- (एक लाख अठ्ठावन हजार रुपये) नीताजी के पूरे
 ३०० जीतकाल विपुल आँकित माले/१७,७९,०००/- (एक लाख अठ्ठावन हजार रुपये) नीताजी के पूरे
 शीशीलाजी को नीताजी ने प्रेषित कर दिये हैं। प्रेषित कर माला की १०० लाख/१०० लाख आठ हजार रुपये मात्र।
 का ईक दायर कविनि के ईक पत्रों से जो कि बारह विकास निधि पत्रों में स्थान पड़ने के पत्र देन होगा।
 पत्रक प्रकाश होगा।

[illegible]

1974-3) काग पत्र से जलान दिखाए उक्त कागजों-सागजों/काग-पत्र (शनिपुर देहात की सीमा की समीपस्थ है) उक्त दूरी 15.630 किमी/0 (द्वन्द्वान अर्थात् मूल रूप 12,16.000/-) (संलग्न टाबल दृश्य करण) नीलामी के पूर्व संतोषिका को नीलामी में प्रेषित करने हेतु जमानत धनपत्रिका क्र. 121 साख (एक लाख इक्कीस हजार रुपया मात्र) का बैंक द्वायट सन्धि के बैंक साजों से बैंक मलबे विकास निधि ज्योतीन स्थान उर्ध्व के माग देन कृपा/ जमा करना होगा।

शहर-६ का मतानुसार प्रमुखित कि राधा होयपुर कुलत कड जानने-वाणने/जात-वास (कापुर देवात की सीमा नी सभितित) कि तकु १३.५४० किमी/कि (पुनितरत मातित मूलत रु० १७,८५०/-) (मातित सातु किडितरत इतरत चातु सी सभने) नीमाती के पुतुं सतीकावातु नी नीमाती के प्रथितरत करने हेतु जमानत धनसति रु० १७८ सातु (रु० सातु अडितरत हजार रुपत मातु) का कड इतरत सभिति के रु० ६८ खतु के कि मतरत सिकार सति जातुन स्यातु वरुं के मात रु० ६८ होतु/ जत कड होतु

खण्ड-५ प्रा.प.स.स. के नाम मुलेती दिशात तक जाने-सामने/आर-पा.स. (कानपुर देहात की सीमा भी सम्मिलित है) तक दूरी ५००० कि०मी० (द्वारापत्र जातिगत मूल्य रु० ७४,८७,०००/-) (तास लाख हजार रूपये) नीलाजी के पूर्व मोतीदास को नीलाजी ने प्रतिग्राह करने देवे जमाना घनराशि रु० ०.४१ लाख (दशभासी हजार रूपय मात्र) को रु० ६१ हजार ८६६ रु० के देक साथै ये जो कि मूल्य विहास प्रिति जातिन स्थान वर्द्ध के नाम देवे कचप.प.स. द्वारा कराया जावे।

खण्ड-8 ग्राम मरदातालपुर से ग्राम डहौना तक (ग्राम मरदातालपुर से लगभग 500 मीटर पूर्व स्थित से पूर्व कुछ दूरी तक की दूरी से पहले स्थित) नदी कावेरि नदी (विशाल नदी) आने-जाने/आ-जा (कागपुर) देशांत की सीमा की स्थापिति (इस दूरी 10.750 कि.मीटर) (नृपतारु आरतिपुर 31.7500/-) (गाता लाला इन्ड्री) ग्रामों बांध ही रूपरेखा नीलासी से पूर्व सीलावाज से नीलासी से प्रथिमात्र करने हेतु जयानत धराला रु 0.74 लाख (सीलातर धराला धराला धराला) का बैंक हाउस स्थिति से बैंक खाते से जो कि नृपतारु विहासत गिया जीवासी स्थान परसे नदी के दो होगा। जया डहौना तक।

काजरी एसील परिसरमाथी प्राय मीटोसुडो से प्राय मुहुरदा एक इवाइल थोडा नदी को जलपराती तीरी 28
किमी० इ जितने पातरा कवि आनय से डेली आनय एक का सोत्र ओइका (नृपतय आगति मूल २०
223100) - (प्राय साय शिरेन इवाय एक को रूपसे) नीतानी के पूर्व ओइताका को नीतानी से प्रतिपाग करने
होइ प्रसन्न वनरती ०० ०.38 ताका फलीक इमाय रूपय मात्र) का ईक इराय सागिति के ईक खाते से को डि
पासु प्रसन्न विपति जालोत रूपय उरई के जय देव होमा/ जय देव होमा/

वहरीत काली जनपद जालीन मलय आधेट नीतनी तहरीत समागार कथ दिनांक-25-09-2023 में कराई जायेगी।

मत्स्य आश्वेत पट्टा / नीरानी हेतु पात्रता की शर्त -

१-सक्रिय मतदाता जीपी सहकारी समितियों की पात्रता की बरीयता शासनादेश संख्या- १/२०१८/३३/एक-२-२०१८-१९ (रिट)/२०१८ दिनांक- १० जनवरी २०१९ के अनुसार होगी।

2-भाग लेने वाली समितियों को सम्बन्धित खर्च की न्यूनतम धनराशि का 10 प्रतिशत धनराशि जमानत के रूप में पट्टा/गीलागी से पूर्व जमा करना होगा।

3-घटा/नीलाभी से पूर्व सम्बन्धित एहसीत से अदेवता प्रमाण-पत्र एवं मत्स्य विभाग से सक्रियता प्रमाण-पत्र देना होगा।

4-बीरगंज शाय सचिवि/सहाय्य बीबीयात का नौलगा घनराशि का 25 प्रतिशत भाग उकात जमा करना होगा एवं अवशेष 75 प्रतिशत घनराशि एक ब्याकअप के अन्दर जमा करनी होगी। बीबीया शाय सचिवि/सहाय्य बीबीयात द्वारा जमा घनराशि का 25 प्रतिशत घनराशि में समाविष्ट कर ती जमायेगी। यदि शेषिष्ट द्वारा जमा नहीं किया जा सका तो नौलगा शब्दअन्तर्गत भागी आवेगी और घनराशि राज्य सरकार के पास में जमा कर ती जायेगी।

७- यदि सर्वोच्च न्यायाधीश की नीतिगत धनसहायता का 25 प्रतिशत उपलब्ध न हो सके तो उसके द्वारा जमानत धनसहायता तत्काल के पक्ष में जमा कर ली जायेगी एवं द्वितीय सर्वोच्च न्यायाधीश के नाम पर तत्काल आदेश देकर उसे हेतु विचार किया जा सकता है। खर्च हेतु निम्नलिखित धनसहायता सम्पूर्ण जमा करने पर तत्काल आदेश देकर की अनुमति प्रदान कि जायेगी तबसे तत्काल जमानत जमा करने पर अनुसूचक पत्र जारी किया जायेगा।

6-मार्च आखेट हेतु ताहीत काली में पदद/नीलापी दिनांक- 25-09-2023 से 31-09-2024 तक
प्रतिस्थित अवधि को छोड़कर) मान्य होगा नीलापी स्वीकृति /अस्वीकृति का अधिकार जिलाधिकारी महोदय
जनपद जालीन में निहित होगा।

7-घटटे की सीतानी की सफाई धनराशि का लेन देन सफाई के बैंक खाते से ही मान्य होगा।

इस नीतानी हेतु सशस्त्र मन्त्र्य जीवी सहाकारी समितियाँ नियत विधि एवं समय पर उपस्थित होकर प्रतिमान कर सबही हैं। विस्तृत जानकारी एवं सार्जों हेतु, सहायक निदेशक मन्त्र्य जालीन स्थान उपरई के कार्यालय समकुण्ड परिसर उपरई आकर किसी भी कार्य दिप्त में प्राप्ति कर सकते हैं।

सहायक निदेशक मत्स्य
जालीन स्थान उरई

उपजिलाधिकारी
तहसील-कालपी जलपाद

UP-194264 दिनांक 06.09.2023 दिव्यापन वेबसाइट www.upgov.nic.in पर उपलब्ध है।

कार्यालय वपमिलामिफारी बई जनपद जालोन

दिनांक: 04 07 2023

गत्स्य आखेट नीलांगी हेतु विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न माहिका संख्या- 31309/2018/पर्यावरण जीवी सहकारी समिति लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के अनुमान में जारी माहिकादेश संख्या- 01/2018/33/एक-2-2018-19 (रि.सं.)/2018, दिनांक- 10 जनवरी 2019 में टी नदी ध्वस्तता के अनुसार जंगल जालीन की गहरीत उर्दी की सीमा में प्रवाहित केतन नदी एवं नून गतना नदी की जलसागर में वर्ष- 2023-24 में नीलाग्री दिनांक से 31-09-2024 तक (अतिवर्धित अवधि को छोड़कर) पर्यावरण आघात घटका/नीलाग्री पर उगरी जाने की कार्यवाही के सम्बन्ध में नीलाग्री तिथि- 27-09-2023 को पूर्ण- 11 बजे उपजित्तपिकारी उर्दी के गहरीत वनागार में सम्पन्न की जायेगी। यदि किसी कारण वश नीलाग्री दिनांक 27-09-2023 को नदी हो पाती है तो नीलाग्री 30-09-2023 को पूर्ण की गति ही की जायेगी। जिसके सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी जिला जालीन स्थान उर्दी के वेबसाइट Jalaun-nic-in पर देखी जा सकती है। उपजित्तपिकारी उर्दी जंगल जालीन द्वारा पूर्ण रूप से संपुष्ट होने के उपरान्त नीलाग्री की स्वीकृति/अस्वीकृति का पूर्ण अधिकार जित्तपिकारी महोदय जालीन स्थान उर्दी में निहित रहेगा।

(१) तहसील उरई जनपद पालीन -

राहील चरई की सीमा में प्रवाहित बेतवा नदी एवं नूरमलंगा नदी की जलपारा में निम्नलिखित बाँध-

पेठगा. नदी खण्ड संलगा-०३। ग्राम ददरी, हूनीग. चरका, टीकर, मुद्रा, बन्नीली, शिथिरिया तक दूरी 12 किलोमीटर जगत्तन आसित मून्न रु० 485400/- (आर लाख अठ्ठासी हजार चार सौ रुपये) नीलानी के पूर्व बोलीखान को नीलानी मे प्रतिपादन करने हेतु जगत्तन घनराशि रु० 0.50 लाख(पचास हजार रुपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट सपलित के एक खाते से जो कि मत्स्य विकास विधि जालान स्थान परई के आगे देय होगी/ जमा करना होगा।

खण्ड संख्या-02 ग्राम शिक्षण केन्द्र से सीतनगर तक दूरी 67 किलोमीटर न्यूनतम आवस्यित मूल्य रु 1.14400/- (एक लाख चौदह हजार चार सौ रुपये) भीतरी के पथ को सीतनाका को नीतानी से सीतनगर करने हेतु जगातत घासराशि रु 0.15 लाख (पंद्रह हजार रुपया मात्र) का बैक ट्रायल सगिति के बैक खाते से जो कि मन्त्र्य विकास गिति जालीन स्थान उईई के नाप देव होना/ जपा करना होगा।

खण्ड संख्या-03 ग्राम मुहाना से पट्टी ऐर तक कइल, कगना, मन्देशा तक दूरी 08 किलोमीटर न्यूनात आरक्षित मूल्य रु 1,37,940/- (एक लाख बीतीस हजार नौ चौ चातीस रुपये) नीतानी के पूर्व बीतोदानी को-नीतानी मे प्रतिगाम करने हेतु जमानत पत्राशि रु 0.15 लाख (पंद्रह हजार रुपया मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो कि जमान विकास मित्रि पालीन स्थान उरई के नाम देय होजा करल करल जाय।

खण्ड संख्या-04 नून मलमा हरदोही नुवर र शोली तक दूरी 16 किमीग्रीड नूनम जाखित नूनम रु० 0.80520/(असी हज्जर मानसी बीर रुपये) नीलाणी के पूर्व बोलीदापा को नीलाणी मे प्रतिपाव करने हेतु पयमात बनारसि रु० 0.10 लाख (दस हजार रुपया मात्र) का बैक द्रापद सभिति के बैक खाते से जो कि मल्लव शिकार निधि जातीन स्थान परई के नाम देना होमा/ जमा करना होमा।

तहसील उरई जनपद जालीन मत्स्य आखेट नीलाग्री तहसील राणागार कदा दिनांक-27-09-2023 में करी जायेगी।

मत्स्य आखेट पट्टा/नीलाग्री हेतु पात्रता की शर्त -

1-सक्रिय गृह्य जीवी सार्वकारी समितियों की पात्रता की बरीयता शासनादेश संख्या- 1/2019/33/एक-2-2019-19 (रिट)/2018 दिनांक- 10 जनवरी 2019 के अनुसार होगी।

2-भाग लेने वाली समितियों को सम्बन्धित खण्ड की न्यूनतम धनराशि का 10 प्रतिशत जमानत के रूप में पट्टा/नीलागी से पूर्व जमा करना होगा।

3-पट्टा/नीलांगी से पूर्व सम्बन्धित तहसील से अदेपता प्रमाण-पत्र एवं मत्स्य विभाग से सक्रियता प्रमाण-पत्र देना होगा।

4-वरीता प्रथम सतिथि/सर्वोच्च बोलीदाता को नीलामी घनराशि का 25 प्रतिशत भाग तत्काल जमा करना होगा एवं अवशेष 75 प्रतिशत घनराशि एक सप्ताह के अन्दर जमा करनी होगी। वरीता प्रथम सतिथि/सर्वोच्च बोलीदाता द्वारा जमा घनराशि का 25 प्रतिशत घनराशि में समायोजित कर दी जायेगी। यदि सतिथि द्वारा ऐसा नहीं किया जा सका तो नीलामी स्वतः समाप्त मानी जायेगी और घनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर दी जायेगी।

5-यदि सर्वोच्च बोलीदाता की नीलापी घनराशि का 25 प्रतिशत तत्काल जमा नहीं करता तो उसके द्वारा जमा जमागत घनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जमा कर ली जायेगी एवं द्वितीय सर्वोच्च बोलीदाता के नाम मूल्य आखेट ठेका देने हेतु विचार किया जा सकता है। खयद हेतु निर्धारित घनराशि सामग्री पर जरूरी पत्र जारी किया जायेगा।

6- मत्स्य आघोष हेतु वहासील कालपी में पटदा/नीलापी दिनांक- 27-09-2023 से 31-08-2024 तक (प्रतिष्ठित अवधि को छोड़कर) मान्य होगा नीलापी स्वीकृति /अस्वीकृति का अधिकार जिलाधिकारी गहोदवा जनपद जालौन में निहित होगा।

इस नीलायी हेतु सक्रिय मत्स्य जीवी राहतकारी समितियां नियत विधि एवं समय पर उपस्थित होकर प्रतिभाग कर सकती हैं। विस्तृत जानकारी एवं शर्तों हेतु सहायक निदेशक मत्स्य जालीन स्थान उरई के कार्यालय समकुण्ड गरिसर उरई आकर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्य कर सकते हैं।

सहायक निदेशक मत्स्य
जालौन स्थान उरई

उपजिलाधिकारी
तहसील-उरई जगनाथ

UP-194263 दिनांक 06.09.2023 विज्ञापन वेबसाइट www.upgovt.nic.in पर उपलब्ध है